तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3062/2003/जोधपुर लक्ष्मीनारायण बनाम ओंकारसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-12-2024	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** **––** **उपस्थितः** श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी। श्री आर.एस. देव राजपुरोहित, अधिवक्ता, अप्रार्थी। ––– आदेश यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं0 11/2002 में पारित निर्णय दिनांक 24–5–2003 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्य रूप से बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र को बिना किसी आधार के स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकि अप्रार्थीगण ने काफी विलम्ब से न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है, जबकि अप्रार्थीगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–1985 की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अपीलीय न्यायालय के समक्ष विलम्ब से अपील पेश करने का युक्तियुक्त कारण प्रार्थी को अपीलीय न्यायालय के समक्ष बताना था किन्तु उन्होंने कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है, उसके बावजूद भी अपीलीय न्याायलय ने उनका प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24–5–2003 अपास्त किया जावे। 4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन रहा है कि न्याय का नैसर्गिक सिव्द्धान्त यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3062/2003/जोधपुर लक्ष्मीनारायण बनाम ओंकारसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, केवल तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर पक्षकारों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए इसी नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6– हस्तगत् प्रकरण में अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 24–5–2003 में यह अंकित किया है कि **'अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नहीं था इस कारण से अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है।'** हमारे विनम्र मत में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण को संतोषजनक मानना स्वाभाविक है क्योंकि अप्रार्थी मूल वाद में परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने से पक्षकार को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 7– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	